

श्रीमान्,

श्रीमान् प्रथम अपीलीय प्राधिकार  
पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड  
केंद्रीय कार्यालय  
गुडगाँव

विषय - R.T.I 2005 के अन्तर्गत अपील

महाशय,

निवेदन है कि मैं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी पावरग्रिड  
केंद्रीय कार्यालय गुडगाँव को 08-03-2019 को आवेदन लिखा था  
(दयाप्रति संलग्न)। लेकिन अभी तक आवेदक को सूचना प्राप्त नहीं  
हुआ है जबकि R.T.I 2005 के अन्तर्गत 30 दिनों के अन्दर ही  
आवेदक को सूचना प्राप्त होनी चाहिए।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आवेदक  
को यथाशीघ्र सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

विश्वरूप भाजन  
कंचन कुमार  
15-05-2019

पताचरका पत्र

कंचन कुमार  
ग्राम - अशोकनगर  
पी० - मौलजी  
राजा - मुन्नीगंज  
जिला - पूर्णियाँ  
पिन - 852122  
(बिहार)

Shr KNB  
21/5/19  
21/5/19  
MKNB / Mr speak  
Sh RP / Mr paper.



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
Power Grid Corporation of India Limited  
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005  
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007  
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



PGCIL/R/2019/M-99  
Dated : 13 May, 2019

Shri Kanchan kumar,  
Shri Kanchan kumar, village-Ashok nagar, post-Nolakhi, Bhaya-Murliganj, Distt-Purnia,

Sub: Information under Right to Information Act, 2005.

Sir/Madam,


This has reference to your RTI request dated 18 March, 2019 for providing information under RTI Act, 2005.

The desired information is attached at Annexure-I.

First Appeal, if any, against the reply of CPIO may be made to the first appellate Authority within 30 days of the receipt of the reply of CPIO. Details of Appellate Authority at Corporate Centre, Gurgaon, under RTI Act, 2005 is as below:

Shri Sanjeev Singh,  
Executive Director (CMG) & Appellate Authority  
Corporate Centre, Power Grid Corporation of India Limited  
"Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon – 122007, Haryana.  
Email ID: sanjeev@powergridindia.com  
Phone No. 0124-2571962

Thanking you,

भवदीय,  
  
(जसबीर सिंह) 13/05/19

वरिष्ठ महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.नो.सू.अधिकारी

Email ID: [cpio.cc@powergrid.co.in](mailto:cpio.cc@powergrid.co.in)

Annexure-I

प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 :

उत्तर : मुख्य सतर्कता अधिकारी पावरग्रिड की देखरेख में संबंधित शिकायत की जाँच जारी है।

आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (h) के प्रावधान के अनुसार शिकायतों की जांच से

संबंधित तथ्यों का खुलासा जांच पूरी होने तक नहीं किया जा सकता।





सेवा में,

श्री मान् केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सर्वकार अनुभाग

पावश्रीउ कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

केन्द्रीय कार्यालय

गुडगांव

विषय - R.T.I 2005 के अन्तर्गत आवेदन

प्रति,

निवेदन है कि मैं केन्द्रीय सर्वकार आयोग, नई दिल्ली में पावश्रीउ में व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में 16-06-2016 को डी आवेदन दिया था। जिसको केन्द्रीय सर्वकार आयोग द्वारा 19-07-2016 को डी आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य सर्वकार अधिकारी पावश्रीउ को भेजा था। लेकिन 02 (दो वर्ष) से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी दायरतल पर कोई भी कार्रवाई होना प्रतीत नहीं हो रहा है।

यदि आने वाले समय में यही स्थिति रही तो मैं माननीय उच्च न्यायलय में जनहित याचिका दाखिल करने की वादत हो जाऊंगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में निम्न सूचनाएँ उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(1) उक्त आवेदन पर अब तक मुख्य सर्वकार अधिकारी पावश्रीउ ने क्या कार्रवाई की है। स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराएं।

(2) पावश्रीउ द्वारा आवेदक को उपलब्ध कराई गई मुआवजा से संबंधित निरि-निरस (MANUL) के अनुसार संबंधित ग्राम-पंचायत के जनप्रतिनिधि से ही मुआवजा प्रपत्र का स्थापन का प्रावधान है, जो कि अलग-अलग ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि से भी मुआवजा प्रपत्र का स्थापन करवाने के बाद पावश्रीउ पूर्णता द्वारा कर्तों मुआवजा का भुगतान किया गया है। क्या इस संबंध में पावश्रीउ के अधिकारी/कर्मचारी से पूछताछ हुई है।

(3) इस संबंध में ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि/किशानों से पूछताछ हुई है। स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराएं।

BR-I  
cc (vij)

Sh. K. N. S.  
18/03/19

श्री  
18/3/19  
→ M. N. G.  
Sh. K. N. S.

M-99

(4) नौकरान सं० 385/02, 385/03, 386/0, 386/1 अर्थात् पर फसल के रूप में हलदी, अदरक, टमाटर दिखानकर मुगतान के गण हैं। जबकि इस क्षेत्र में यह फसल नहीं होती है। क्या इस संबंध में पावरशेड के कर्मचारी/किसानों/जनप्रतिनिधियों से पूछताछ की गई है। कृपया स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराएं।

5) जांच समाप्त हो गई हो तो आवेदन के संबंधित फाइल/रिपोर्ट की दायरा पूरी उपलब्ध कराएं।

में भारत का नागरिक हूँ तथा I.P.O - 10 रुब का संग्रह कर भेज रहा हूँ। जिसकी सं०-UP/F/1804 है।

पत्राचार का पता

कंचन कुमार

ग्राम - अशोकनगर

पो० - मौलवी

शहर - मुदलीगंज

जिला - पूर्णिया

पिन नं०. 852122

(वि३१२)

विवेक राजन

कंचन कुमार

08-03-2019